राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.8(22)वित्त–1(1)आ.व्यय/2000/पार्ट III   जयपुर, दिनांक : 03.07.2018

परिपत्र

अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली राशि को वापस राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया इस विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 26.04.2005 एवं 22.11.2012 द्वारा निर्धारित की गई है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर द्वारा संघ तथा राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची के सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 3.10 में दी गई प्रक्रिया के दृष्टिगत वर्तमान प्रक्रिया में कतिपय संशोधन सुझाए गए हैं।

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के सुझावों पर विचार कर उपयोग में न ली गई अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली को जमा कराने हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2005 एवं 22.11.2012 के अतिक्रमण में वित्तीय वर्ष 2018–19 से निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

राजस्व व्यय के बाबत :–

(क) अवशेष राशि के संबंध में

1. वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित राशि में से अवशेष राशि (Unspent Balances) को यदि उसी वर्ष में वापस जमा कराया जाता है तो उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिस शीर्ष से राशि आहरित की गई थी।

2. मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत चालू वर्ष एवं गत वर्षो में आहरित अवशेष राशि, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित होती है, को मद 2245 के अन्तर्गत उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिससे वह आहरित की गई थी।

3. लेखामद 2245 को छोड़कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् गत वर्षों की अवशेष राशि को जिस व्यय शीर्ष से आहरित की गई थी उसके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया जावे। ऐसे व्यय शीर्ष जिनके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं है उस स्थिति में राशि शीर्ष 0075–800–(01) अन्य विविध प्राप्तियां में जमा कराई जावे।

(ख) अधिक अदायगियों की वसूलियाँ

1. वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में हुए अधिक अदायगियों की वसूलियों को यदि उसी वर्ष में वापस जमा कराया जाता है तो उसी विस्तृत शीर्ष में माइनस जमा करवाया जावे जिस शीर्ष से राशि आहरित की गई थी।

2. वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् पिछले वर्षों से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों को जमा कराने के लिए संबंधित मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के नीचे पृथक लघु शीर्ष 911–"घटाइये अधिक

अदायगियों की वसूलियां" खुलवाकर उसमें जमा करवाई जावे। वित्तीय वर्ष 2018–19 में यदि पिछले वर्षों की कोई राशि पूर्व में जिस मद से आहरित की गई थी उसी मद में माइनस जमा करा दी गई हो तो उसका स्थानान्तरण प्रविष्टि के माध्यम से 911–"घटाइये अधिक अदायगियों की वसूलियां"शीर्ष में समायोजन करवाया जावे।

पूंजीगत व्यय के बाबत:–

पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत अवशेष राशि, विनिवेश (Disinvestment) की राशि, हिस्सा पूंजी की वापसी, कार्य के विरूद्ध अधिक भुगतान की राशि आदि का लेखांकन सम्बन्धित पूंजीगत व्यय शीर्ष के व्यय को कम करके किया जाना हैं, जिससे पूंजीगत व्यय की वास्तविक व सही गणना हो सके। अतः इस राशि का निम्न प्रकार से लेखांकन किया जावे :–

1. गत वर्षों की अवशेष राशि व निर्माण कार्य के विरूद्ध अधिक भुगतान को सम्बन्धित विस्तृत शीर्ष के अर्न्तगत (Minus Expenditure) जमा कराया जावे परन्तु ऐसे चालानों पर विस्तृत कारण, राशि आहरण की तिथि, उद्देश्य, लेखा शीर्ष आदि का उल्लेख किया जावे जिससे लेखांकन में परेशानी न हो।
2. विनिवेश (Disinvestment) की राशि व हिस्सा पूंजी की वापसी की राशि को सम्बन्धित शीर्ष के नीचे 'घटाइये–वापसी' के विरूद्ध जमा करवाया जाये, जिससे उस शीर्ष के अर्न्तगत वापसी की गणना भी हो सके।

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को उनके कार्यालय पत्र क्रमांक रिपोर्ट(एएडी)/2(1178)/2018–19/556 दिनांक 03.05.2018 के क्रम में ।
2. समस्त प्रशासनिक विभाग।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. तकनीकी निदेशक, NIC, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)

[7 / 2018]